संख्या–548 / XXIV(1) / 2007–52 / 2006

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिय शिक्षा परिषद्,
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक): देहरादूनः दिनांकः 09 अगस्त, 2007

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु वित्तीय स्वीकृति संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–599(1) / XXVII(1) / 2007, दिनांक12 जुलाई, 2007 तथा शासनादेश संख्या–301 / XXIV(1) / 2007–52 / 2006 T.C., दिनांक 17.07.2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं पर व्यय हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में रू0 722000 हजार (रूपये बहत्तर करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त वर्णित योजनाओं में व्यय हेतु धनराशि के आहरण के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि अब योजनावार स्वीकृत की जा रही धनराशि में शासनादेश संख्या–301 / XXIV(1) / 2007–52 / 2006 T.C., दिनांक 17.07.2007 में स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 324150 हजार भी सम्मिलित है।

3. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नही किया जोयगा। उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत् निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगाः–

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त हो जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(4) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्याधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(5) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये। उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(7) अवशेष धनराशि की जिलावार फॉट एवं अनुदान संबंधी योजनाओं के गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र इसी माह के अन्त तक शासन को प्रस्तुत कर दिये जाये, तभी अवशेष धनराशि की स्वीकृत निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट संबंधित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक

शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–267(P)/वित्त अनुभाग–3/2007, दिनांक 09 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
3. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
4. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

संख्या–548/XXIV(1)/2007–52/2006 दिनांक 14 अगस्त, 2007 का संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक	आयोजनागत
राजस्व लेखा	
2202–सामान्य शिक्षा	
01–प्रारम्भिक शिक्षा	
101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय	
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं	
0102–विद्यालयों में पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना	
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	320000
योग–101	320000
102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	
0101–राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम (2/3 केन्द्र पोषित)	
20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	2000
योग–102	2000
800–अन्य व्यय	
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	
0104–सर्व शिक्षा अभियान (50 प्रतिशत राज्यांश)	
20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	400000
योग–800	400000
महायोग–	722000

(रूपये बहत्तर करोड़ बीस लाख मात्र)

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।